



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सेवा में,

निदेशक/सचिव/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एम०एड० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले
समस्त स्ववित्तपोषित संस्थान/महाविद्यालय

पत्रांक: सम्बद्धता/1769

दिनांक: 24-7-2025

विषय: एम.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) सत्र 2025-27 के प्रवेश से पूर्व एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों/महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 5125 (1)/70-2-2005 दिनांक 21.10.2005 के अनुपालन के संदर्भ में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त स्ववित्त पोषित संस्थानों में एम.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) सत्र 2025-27 में काउंसिलिंग के माध्यम से छात्र आवंटित करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुरूप नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।

उक्त के अनुपालन में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि :-

1. आपके संस्थान में एम.एड. पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) हेतु नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के सत्यापन के लिए निर्धारित **Proforma for Verification of M.Ed. Faculty** (संलग्नक-1) पूर्ण कर एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित शिक्षकों के साथ दि० 04 तथा 05 अगस्त, 2025 को भौतिक सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित हों तथा इस हेतु कोई यात्रा भत्ता वि० वि० द्वारा देय नहीं होगा।
2. सत्यापन हेतु अनुमोदित शिक्षकों को अपने सभी मौलिक शैक्षणिक अभिलेख, अनुभव प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व सैलरी भुगतान एकाउन्ट की पास बुक व 02 पासपोर्ट साइज फोटो मूल रूप में लाना अनिवार्य है। संस्थान द्वारा सम्बन्धित शिक्षक को पिछले एक वर्ष में बैंक के माध्यम से किए गए वेतन भुगतान का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा केवल अनुमोदित एवं संस्थान में कार्यरत शिक्षकों का ही सत्यापन कराया जायेगा। विगत वर्षों में शिकायती पत्रों के आधार पर कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र निर्गत संस्थान से सत्यापित कराने पर फर्जी पाये गये थे। ऐसे शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय ने निरस्त कर संस्थान को एम.एड. काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, जिन शिक्षकों का चयन आपने संस्थान में किया है या आपके संस्थान में विगत वर्षों से कार्यरत हैं, उनके शैक्षिक प्रमाण-पत्रों व अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान/कालिज से अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से करा लें। यदि किसी शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/पाये जाने अथवा अर्हता पूर्ण न करने के आधार पर अयोग्य पाया जाता है, तो उसका अनुमोदन निरस्त कर विश्वविद्यालय उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा। ऐसी स्थिति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. शिक्षकों के सत्यापन के समय यदि संस्थान के पास एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुरूप अर्ह शिक्षकों का अनुमोदन व संख्या पूर्ण नहीं होगी, तो उसे एम.एड. सत्र 2025-27 में काउंसिलिंग से छात्र आवंटित नहीं किये जायेंगे और न ही शिक्षकों के सत्यापन हेतु अन्य अवसर प्रदान किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की होगी एवं विश्वविद्यालय अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा। अतः सत्यापन में प्रतिभाग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके यहाँ निर्धारित संख्या में शिक्षक अनुमोदित हैं।
5. संस्थान/महाविद्यालय को अपने यहाँ सत्र 2025-27 में एम०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्गत द्विवर्षीय पत्र (2015) एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त पत्र प्रस्तुत न करने वाले संस्थान को एम०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) हेतु काउंसिलिंग से छात्र आवंटित नहीं किए जायेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सचिव कुलसचिव को, सम्बन्धित आदेश के गॉर्ड फाईल हेतु।
3. प्रो० आर० के० शर्मा, चैयरमैन, एम.एड. प्रवेश सत्र 2025-27 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रो० विजय जायसवाल, समन्वयक, एम.एड. प्रवेश सत्र 2025-27 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उपकुलसचिव (सम्बद्धता) को इस आशय के साथ कि एम.एड. शिक्षकों के नियुक्ति या अनुमोदन से सम्बन्धित प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु।

कुलसचिव

Enclosure-I

**Proforma for Verification of M.Ed. Faculty working in Self-financing
Institutions affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut**

Name of the Institution with Address
:.....

Name of the Faculty :

Date of Birth :

Father's Name :

Mother's Name :

Mobile No. :

Date of Physical Verification:

E-mail ID :

PAN No. :

Adhar No:

Bank Account No. :

Bank's Name & Address :

Residential Address :

Date of University Approval for Faculty :

*Enclose copy of approval letter (Note that it
will be verified from the University records)*

Designation of Faculty :

Qualifications of Faculty :

Faculty serving on the approved post in the institution : From to

- * Please attach signed and verified bank statement with account number of salary given to above named faculty during last one year.
- * Proforma will be accepted only when faculty's Bank account details are furnished.

(Signature of the Faculty)

(Countersign by Chairman / Principal)
with Stamp

Signed & Verify
Photo of Faculty